...य सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा केम्प – सांभरा

...अधिकारी :–   ...उदयभानू चारण आर.ए.एस.

...द सं. 151 / 2008

...लाल 2. ओमप्रकाश 3. राणाराम
...न दीपाराम उर्फ बुदीया जाति घांची
...वासी बालोतरा

व नाम

प्रतिवादीगण

1. गणेशाराम पुत्र चिमनाराम
2 हडमानाराम 3. मंगलाराम 4. घेवरराम
5. मोहनराम 6. लालाराम पुत्रान वेला उर्फ भगा सभी जातियान घांची निवासियान बालोतरा
7. राजस्थान राज्य द्वारा प्रतिनिधी भूमिधारक तहसीलदार पचपदरा

निर्णय

दिनांक 2.7.15

...उपस्थित – पक्षकारान

वादीगण ने न्यायालय मे वर्तमान वाद अधिकार घोषणा, बंटवाडा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का इस आशय का ...पेश किया, जिसके संक्षिप्त तथ्य निम्न है, सरहद मौजा कलावा पटवार क्षेत्र आकडली मे खेत खसरा संख्या 137 रकबा 35 बीघा 06 विस्वा, खसरा संख्या 139 रकबा 17 बीघा 08 विस्वा कुल रकबा 52 बीघा 14 विस्वा आया हुआ है, उक्त भूमि में वक्त सेटलमेन्ट 1/2 हिस्से का खातेदार चिमना वल्द पीरा, व 1/2 हिस्सा वेला उर्फ भगा, दीपा पुत्र सरदारा का था, उक्त भूमियों में वादीगण का 1/4 हिस्सा है तथा 1/4 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 02 से 06 का है । सरदारा व चिमनाजी दोनो ही पीराजी के पुत्रान थे, उक्त भूमि पैतृक सम्पति थी । वादीगण व प्रतिवादीगण एक ही परिवार के है । वक्त सेटलमेन्ट से कब्जा काश्त वादीगण का प्रतिवादीगण के साथ रहा है । वादीगण के पिता दीपाराम का नाम राजस्व अधिकारियों ने गलती से दीपाराम नहीं लिख कर बुदीया लिख दिया तथा सरदाराजी के बडे लडके वेलाराम का नाम वेलाराम नहीं लिख कर भगाराम लिख दिया । वादी व प्रतिवादीगण की अन्य भूमियां मौजा जेरला में खसरा संख्या 525, 551, 552 आयी हुई है, जिसमें सही नाम वेला व दीपा दर्ज हुए है । रेकर्ड में गलत नाम दर्ज होने की वजह से दुरस्ती करना आवश्यक है ।

वाद पत्र प्रस्तुत होने पर प्रतिवादीगण को जरीये सम्मन तलब किया, प्रतिवादीगण की ओर से अधिवक्ता उपस्थित हुए । प्रतिवादी सं. 1 के अधिवक्ता ने जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम पेश किया और कथन किया कि उक्त भूमि पर वादीगण का कोई कब्जा नहीं रहा, उक्त भूमि पर अकेले चिमनाजी का कब्जा काश्त था, बुदीया, मगीया पीसरान सरदारा नाम के कोई व्यक्ति थे, और न ही उनका भूमि पर कब्जा काश्त था, सेटलमेन्ट अधिकारियों ने भूल व गलती से उक्त काल्पनिक नाम चिमना पुत्र पीराजी के साथ खातेदारी में दर्ज कर दिया, उक्त भूमि का लगान भी चिमनाजी ने अदा किया । वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 02 ता 06 का कोई हक हिस्सा नहीं है ।

आज राजस्व लोक अदालत केम्प में वादी राणाराम, प्रतिवादी गणेशाराम, लालाराम, हडमानराम, घेवरराम उपस्थित आये, गणेशाराम को छोड़ कर शेष सभी ने जिन्होंने लिखित मे राजीनामा पेश कर वाद स्वीकार करने में सहमति दी । उपस्थित पक्षकारों को समझाईश की, उपस्थित पक्षकारों ने बताया कि दीपा का नाम जो रेकर्ड में गलत दर्ज हुआ था, उसको जरिये दुरस्ती शुद्ध किया जा चुका है, अब भगा का नाम गलत है, उसके स्थान पर वेलाराम का नाम दर्ज होना चाहिए । उक्त भूमि के राजस्व रेकर्ड का अवलोकन किया, पत्रावली एवं पत्रावली के संलग्न दस्तावेजात, जमाबंदी खतौनियां, म्यूटेशन मौजा केलावा, मौजा जेरला, मौजा रामसीन का अवलोकन व अध्ययन किया, मनन किया।

बाद उपरोक्त विवेचन अनुसार उक्त भूमि वक्त सेटलमेन्ट वादीगण के पिता दीपाराम के 1/4 हिस्से की खातेदारी की रही है, इस सम्बन्ध मे मिसल बंदोबस्त सं. 2012 की प्रमाणित प्रतिलिपी पत्रावली पर है एवं दीपाराम के खातेदारी की अन्य भूमियां मौजा जेरला व रामसीन में रही है, उक्त भूमियों में सही नाम दीपाराम व वेलाराम दर्ज रहे है, उक्त तथ्यों को उपस्थित पक्षकारों ने स्वीकार किया कि, उक्त भूमियां दीपाजी व वेला पुत्रान सरदार के खातेदारी की थी, वादीगण दीपाराम के वारिसान है । प्रतिवादी संख्या 02 ता 06 वेला के वारिसान है ।

उपरोक्त सभी विवेचन एवं दस्तावेजात एवं पक्षकारान को दौराने समझाईश की गई संस्वीकृति से यह तथ्य स्वीकृत है कि उक्त भूमि दीपा व वेला के संयुक्त खातेदारी की रही है, किन्तु रेकर्ड में दीपा का नाम पहले सही था, उसके स्थान पर गलती से बुदीया दर्ज हुआ, जिसे दुरस्त करने की कार्यवाही हो चुकी है तथा वेलाराम का नाम सही दर्ज नहीं होकर भगाराम दर्ज हो गया, उसे दुरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता हैं, ऐसी स्थिति में वाद पत्र वादीगण स्वीकार किये जाने योग्य होने से स्वीकार कर वादग्रस्त भूमि खेत खसरा संख्या 137 रकबा 35 बीघा 06 विस्वा व खसरा संख्या 139 रकबा 17 बीघा 08 विस्वा कुल रकबा 52 बीघा 14 विस्वा मौजा कलावा में भगा पुत्र सरदारा के स्थान पर वेला पुत्र सरदारा दर्ज करने का आदेश दिया जाता है । इसी अनुसार रेकर्ड में अमल दरामद करें । खर्चा अपना अपना वहन करें।

निर्णय आज केम्प कोर्ट सांभरा में तारीख 2.7.15 को मजमेआम में सुनाया गया ।

2/7/15
(उदयभानू चारण)
सहायक कलक्टर (S.D.O.)
बालोतरा

Scanned by CamScanner

प्राथमिक डिगरी व मुकदमें इब्तदाई

(ऑर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix 'D'1)

दालत श्री सहायक कलक्टर SDO मुकाम बालोतरा केम्प सांभरा

स – पीठासीन अधिकारी– श्री उदयभानू चारण, आर.ए.एस.

व नाम प्रतिवादीगण

ीलाल 2. ओमप्रकाश 3. राणाराम पुत्रान दीपाराम उर्फ बुदीया जाति घांची निवासी बालोतरा	1. गणेशाराम पुत्र चिमनाराम 2 हड़मानाराम 3. मंगलाराम 4. घेवरराम 5. मोहनराम 6. लालाराम पुत्रान वेला उर्फ भगा सभी जातियान घांची निवासियान बालोतरा 7. राजस्थान राज्य द्वारा प्रतिनिधी भूमिधारक तहसीलदार पचपदरा

वाद हेतु अधिकार घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नं. राजस्व मूल वाद संख्या 151 सन् 2008

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी पक्षकारान मिनजानिब मुद्दई व मिनजानिब पक्षकारान मुदायलाह में पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि– वाद पत्र वादीगण स्वीकार किये जाने योग्य होने से स्वीकार कर वादग्रस्त भूमि खेत खसरा संख्या 137 रकबा 35 बीघा 06 विस्वा व खसरा संख्या 139 रकवा 17 बीघा 08 विस्वा कुल रकबा 52 बीघा 14 विस्वा मौजा कलावा में भगा पुत्र सरदारा के स्थान पर वेला पुत्र सरदारा दर्ज करने का आदेश दिया जाता है । इसी अनुसार रेकर्ड में अमल दरामद करें । खर्चा अपना अपना वहन करें।

लीज .... मुबलिक .... बाबत ....

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह .... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक .... को अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 2 माह 07 सन् 2015

को जारी की गई।

दस्तखत ....अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर बालोतरा

ओहदा ..२०.१.१५.....2015

मुहर